झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

संकल्प

पत्रांक–भा0व0से0 (स्था0)–74/2003 3742 व0प0 दिनांक–25/11/2020

विभागीय संकल्प संख्या–भा0व0से0(स्था0)–852 दिनांक–18.02.2014 द्वारा LTC सुविधा की स्वीकृति एवं उक्त उपभोग के क्रम में 10 दिनों के EL की स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया के निर्धारण हेतु आदेश निर्गत है।

पूर्व से निर्गत उक्त आदेश के आलोक में एक ही गतिविधि हेतु बहुस्तरीय निष्पादन की प्रक्रिया संचालित रहने की स्थिति में उसके जटिल एवं अत्यधिक समय लगने के कारण उक्त प्रक्रिया में सुधार किये जाने का विकल्प सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

विषयवस्तु के सम्यक समीक्षापरांत भा0व0से पदाधिकारियों के LTC सुविधा एवं उक्त के उपभोग के क्रम में 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:–

I- HTC/LTC की स्वीकृति एवं HTC/LTC के उपभोग के क्रम में 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति भारत सरकार के संगत नियमों/प्रावधानों के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदत्त की जायेगी। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में एक रजिस्टर संधारित रहेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किसी भी अधिकारी द्वारा 4 वर्षों के ब्लॉक में नियमानुसार HTC/LTC सुविधा का उपयोग किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पदाधिकारीगण द्वारा HTC/LTC की सुविधा का उपभोग नियमानुसार ही किया जाय।

II- अधिकारियों द्वारा HTC/LTC सुविधा का उपभोग Shortest route से ही नियमानुसार किया जाएगा।

III- उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के लंबित सभी मामले इसी प्रक्रिया से निष्पादित किए जाएंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ही इस स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार है।

IV- सभी पदाधिकारी HTC/LTC पर प्रस्थान के पूर्व ही स्वीकृति प्राप्त कर ही प्रस्थान करेंगे।

V- शेष सभी शर्तें पूर्ववत्त रहेगी।

ह0/–

(शैलजा सिंह)

विशेष सचिव

ज्ञापांक– भा0व0से0 (स्था0)–74/2003 3742 व0प0, रांची, दिनांक 25/11/2020

प्रतिलिपि–सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा की जाय।

24/11/2020

विशेष सचिव